14-11-17 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर डिक्री वादी
पढ़ी गई पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहराव (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड

तारीख दायरा 23.07.2019

प्रकरण संख्या 88/[illegible]/19

बनाम

बंकटलाल उम्र 65 साल पुत्र अमरा जाति लोढा निवासी टाण्डी मजरा बामलाबेह तहसील मनोहरथाना

-वादी

बनाम

1. कैलाश उम्र 40 साल पुत्र पत्था जाति लोढा निवासी टाण्डी मजरा बामलाबेह
2. कस्तुरी बाई उम्र 45 साल पुत्री पत्था जाति लोढा निवासी टाण्डी मजरा बामलाबेह
3. भंवरिया उम्र 70 साल पिता अमरा जाति लोढा निवासी टाण्डी मजरा बामलाबेह
4. किशना उम्र 68 वर्ष पुत्र अमरा जाति लोढा निवासी टाण्डी मजरा बामलाबेह
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

- प्रतिवादीगण

वाद धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :- श्री बद्रीलाल साहू अधिवक्ता वादी
श्री केसरी सिंह पुष्कर अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 14.11.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अर्ज अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम बामलाबेह पटवार मण्डल कोलूखेडी कलां तहसील मनोहरथाना के मात की खाता संख्या नया 43 पुराना 35 की कुल 14 किता 36 बीघा 5 बिस्वा आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण के शामिल खाता में हिस्सा अनुसार दर्ज है। अवलोकनार्थ नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 पेश है।

वाद कि मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम शंकर पिता अमरा जाति लोढा निवासी टाण्डी मजरा बामलाबेह अंकित हो रहा है। जो गलत है वादी का नाम सही नाम बंकटलाल पिता अमरा जाति लोढा निवासी टाण्डी मजरा बामलाबेह है जो आधार कार्ड, वोटर आई.डी., राशन कार्ड, परिवार का भामाशाह कार्ड में अंकित हो रहा है जो सही है। शंकर एवं बंकटलाल नाम वादी का ही एक मात्र व्यक्ति है। वादी का नाम जमाबन्दी में दुरूस्त करवाकर वादी अपना सही नाम बंकटलाल अंकित करवाना चाहता है।

वाद कि मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम दुरूस्त करवाने के लिए प्रतिवादीगण से कई बार कहा किन्तु कोई सुनवाई नहीं की गयी अन्तिम बार दिनांक 10.07.2019 को प्रतिवादीगण से कहने और इन्कार हो जाने से वाद हेतु उत्पन्न हुआ है।

खण्ड अधिकारी
थाना, जिला झालावाड़

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादी को उर्फ सम्मन तलब किया गया। ग्राम बामलाखेड़ पटवार मण्डल कोल्हूखेड़ी कलां तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 43 पुरानी 35 की कुल 14 किता की 36.05 बीघा आराजी में वादी का नाम शंकर पिता अमरा के स्थान पर नाम बंकटलाल पिता अमरा जाति लोढा दर्ज किया जावे, क्योंकि वादी के शपथ पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई.डी., राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, जॉब कार्ड आदि में बंकटलाल पिता अमरा दर्ज है।

अतः आदेश दिया जाता है कि वादी का नाम उपरोक्त आराजी में वादी का नाम शंकर पिता अमरा को दुरूस्त किया जाकर बंकटलाल पिता अमरा दर्ज किया जावे। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री आदेश जारी हो, मिसल फैसलशुदा की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़